

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3	4
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जनवरी, 2022	125.1
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	फरवरी, 2022	125.0
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	मार्च, 2022	126.0
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अप्रैल, 2022	127.7
5	डिस्टीलरी के नियोजन	मई, 2022	129.0
6	पाटीज़ के नियोजन	जून, 2022	129.2
7	बेकरीज़ एवं कान्फ़ेक्शन के नियोजन	कुल	762
		Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	762 X 2.88 = 2194.56
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	6 माह का औसत	$\frac{2194.56}{6} = 365.76 = 366$
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दु अर्थात् वृद्धि	301 बिन्दु 366 - 301 = 65 बिन्दु
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{65 \times 100}{301}$	21.59 % की वृद्धि
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सीमेंट ग्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्टस सीमेंट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		
18	पेपर उद्योग के नियोजन		

	लॉन्डी एवं वॉशिंग के नियोजन		
20	होजियारी निर्माण के नियोजन		
21	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
23	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन		
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन		
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
26	फिशरीज के नियोजन		
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन		
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
29	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन		
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन		
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
32	मुद्रणालय के नियोजन		
33	अबरक कार्यों (खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन		
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
36	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
39	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओ के नियोजन		
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन		
46	सिलाई उद्योग के नियोजन		
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक		
54	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई (फऊण्डी उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कट उद्योग के नियोजन		

	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राइंडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
64	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन		
66	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्टर्ड/कॉस्ट अकउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक्ट के नियोजन		
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाइप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
73	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन		
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन		
75	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
76	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जून, 2022 (वर्ष-2022 का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.2022 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/20210, श्र0नि0, 1208....., राँची, दिनांक 19/09/2022)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Rz.
19/09/2022
अवर सचिव,
श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक

का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अवर सचिव,
श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O.....

Dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl.No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No.- (2016 =100)
1	Dam Construction and Irrigation	January, 2022	125.1
2	Shops Selling Cooked food stuff	February, 2022	125.0
3	Tanneries and Leather Manufactory	March, 2022	126.0
4	Cold Storage	April, 2022	127.7
5	Distilleries	May, 2022	129.0
6	Potteries	June, 2022	129.2
7	Bakeries and Confectionaries	Total	762
8	Co-Operative Sector	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$762 \times 2.88 = 2194.56$
9	Aluminum Industry	Average	$\frac{2194.56}{6} = 365.76$ $= 366$
10	Khandsari Industry	Revised / fixed Price index no.-24.10.2019 Increase	301 Point $366 - 301 = 65$ Point
11	Chemical Pharmaceutical Industry	Percentage Increase = $\frac{65 \times 100}{301}$	21.59 % of Increase
12	Soap Making Industry	Do	Do
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	Do	Do

4	Asbestos Cement factory	Do	Do
15	Glass Sheet Industry	Do	Do
16	Gun factory	Do	Do
17	Religious and Social Industry	Do	Do
18	Paper Industry	Do	Do
19	Laundry and Washing	Do	Do
20	Hosieries Manufacturing	Do	Do
21	Manufacture of Sindur and Rang	Do	Do
22	Manufacture of leather goods	Do	Do
23	Wood work and Furniture	Do	Do
24	Ice-cream and Cold drink	Do	Do
25	Petrol and Diesel Pump	Do	Do
26	Fisheries	Do	Do
27	Khadi and Village Industry	Do	Do
28	Private Ferrise and L.T.C.	Do	Do
29	Hard Coke Oven	Do	Do
30	Private Hospital, Nursing	Do	Do
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	Do	Do
32	Printing Press	Do	Do
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Do	Do
34	Handloom Industry	Do	Do
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	Do	Do
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry	Do	Do
37	Any shop or Establishment	Do	Do
38	Public Motor Transport	Do	Do
39	Any University, Education Research of lultural Institution	Do	Do
40	Hotels, Eating House and Resturant	Do	Do
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	Do	Do
42	Dairies and Poultry Farms	Do	Do
43	Auto Mobile Engineering	Do	Do
44	Cinema Industry	Do	Do
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	Do	Do
46	Tailoring Industry	Do	Do
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	Do	Do
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	Do	Do
49	Plastic Industry	Do	Do
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	Do	Do
51	Employment in Agriculture	Do	Do
52	Book Binding Industry	Do	Do
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)	Do	Do
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory	Do	Do
55	Electronics Industry	Do	Do
56	Plywood Industry	Do	Do

57	Foundry Industry	Do	Do
58	Biscuit Industry	Do	Do
59	Coal Briquette Industry	Do	Do
60	Private Security Agency	Do	Do
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Do	Do
62	Mineral Grinding Industry	Do	Do
63	Employment of Sweeping and Cleaning	Do	Do
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	Do	Do
65	Employment in Motor garages and workshops	Do	Do
66	Employment of Motor Body Building.	Do	Do
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs	Do	Do
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	Do	Do
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	Do	Do
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	Do	Do
71	Employment in Electricity Generator and supply	Do	Do
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	Do	Do
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	Do	Do
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	Do	Do
75	Computer Coaching Institute etc.	Do	Do
76	Employment of Mobile Tower etc.	Do	Do
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	Do	Do

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2022, which is 1st half of 2022, will be payable from 01.10.2022

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 1208 Ranchi, Dated 19/09/2022

By Order of the Governor of Jharkhand,

Re.
19/09/2022
Under Secretary,
Labour Commissioner Office,
Jharkhand.

ज्ञापांक २/एम०डब्लू०-२०७२/२०१० श्र०नि०... 1208 राँची, दिनांक 19/09/2022
प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Re.
19/09/2022
अवर सचिव,
श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१० श्र०नि०...!२०४.....राँची, दिनांक...19/09/2022
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम,
नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Rz.
19/09/2022
अवर सचिव,
श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१० श्र०नि०...!२०४.....राँची, दिनांक...19/09/2022...
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई
दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर
ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव,
न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी
सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Rz.
19/09/2022
अवर सचिव,
श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

अनुसूची-1

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है।	जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (4 - 5)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० - 1879 दिनांक- 24.10.19	301	366	366-301 =65 बिन्दु अर्थात् $\frac{65 \times 100}{301}$ 21.59 % की वृद्धि	क) रु० 274.81 पर रु० 59.33 प्रतिदिन ख) रु० 287.90 पर रु० 62.15 प्रतिदिन ग) रु० 379.51 पर रु० 81.93 प्रतिदिन घ) रु० 438.39 पर रु० 94.65 प्रतिदिन <u>मासिक</u> क) रु० 7145.06 पर रु० 1542.62 प्रतिमाह ख) रु० 7485.40 पर रु० 1616.10 प्रतिमाह ग) रु० 9867.26 पर रु० 2130.34 प्रतिमाह घ) रु० 11398.14 पर रु० 2460.85 प्रतिमाह	दिनांक- 01.10.2022 से देय
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	तदैव					
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव					
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव					
5	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव					
6	पोट्रीज़ के नियोजन	तदैव					
7	बेकरीज़ एवं कान्फ़केशन के नियोजन	तदैव					
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					
9	अल्युमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

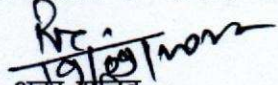
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉन्डी एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
26	फिशरीज़ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अबरक कार्यों (खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	रिफ़ैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बनने वाले किसी प्रतिष्ठान	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	के नियोजन						
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगटेड बोर्ड, एस्टा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57	ढलाई (फऊण्डी उद्योग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62	मिनरल ग्राईडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

64	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इन्गोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
66	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
67	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68	चार्टर्ड/कॉस्ट अकऊन्ट्स/औडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
73	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
75	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
76	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डबल्यू०-२०७१/२०१०एश०नि०-1208 राँची दिनांक-19/09/2022)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


अवर सचिव,
श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

Schedule-I

Sl.No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January, 2022 to June, 2022 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date-24-10-19	301	366	366-301=65 Or $\frac{65 \times 100}{301}$ =21.59 %	(a) On Rs. 274.81 Rs. 59.33 per day (b) On Rs. 287.90 Rs. 62.15 per day (c) On Rs. 379.51 Rs. 81.93 per day (d) Rs. 438.39 and above Rs. 94.65 per day <u>Monthly</u> (a) On Rs. 7145.06 Rs. 1542.62 per month (b) On Rs. 7485.40 Rs. 1616.10 per month (c) On Rs.9867.26 Rs.2130.34 per month (d) Rs. 11398.14 and above Rs.2460.85 per month	Effect From-01.10.2022
2	Shops Selling Cooked food stuff	Do	Do	Do	Do	Do	Do
3	Tanneries and Leather Manufactory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
4	Cold Storage	Do	Do	Do	Do	Do	Do
5	Distilleries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
6	Potteries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
7	Bakeries and Confectionaries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
8	Co-Operative Sector	Do	Do	Do	Do	Do	Do
9	Aluminum Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
10	Khandsari Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
11	Chemical Pharmaceutical Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
12	Soap Making Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
14	Asbestos Cement factory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
15	Glass Sheet Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
16	Gun factory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
17	Religious and	Do	Do	Do	Do	Do	Do

	Social Industry						
18	Paper Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
19	Laundry and Washing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
20	Hosieries Manufacturing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
21	Manufacture of Sindur and Rang	Do	Do	Do	Do	Do	Do
22	Manufacture of leather goods	Do	Do	Do	Do	Do	Do
23	Wood work and Furniture	Do	Do	Do	Do	Do	Do
24	Ice-cream and Cold drink	Do	Do	Do	Do	Do	Do
25	Petrol and Diesel Pump	Do	Do	Do	Do	Do	Do
26	Fisheries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
27	Khadi and Village Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
28	Private Ferries and L.T.C.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
29	Hard Coke Oven	Do	Do	Do	Do	Do	Do
30	Private Hospital, Nursing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	Do	Do	Do	Do	Do	Do
32	Printing Press	Do	Do	Do	Do	Do	Do
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
34	Handloom Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	Do	Do	Do	Do	Do	Do
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
37	Any shop or Establishment	Do	Do	Do	Do	Do	Do
38	Public Motor Transport	Do	Do	Do	Do	Do	Do
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	Do	Do	Do	Do	Do	Do
40	Hotels, Eating House and Restaurant	Do	Do	Do	Do	Do	Do
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	Do	Do	Do	Do	Do	Do
42	Dairies and Poultry Farms	Do	Do	Do	Do	Do	Do
43	Auto Mobile Engineering	Do	Do	Do	Do	Do	Do
44	Cinema Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	Do	Do	Do	Do	Do	Do
46	Tailoring Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which	Do	Do	Do	Do	Do	Do

	and Tube is also included)						
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
49	Plastic Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
51	Employment in Agriculture	Do	Do	Do	Do	Do	Do
52	Book Binding Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
53	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
54	Electronics Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
55	Plywood Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
56	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
57	Foundry Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
58	Biscuit Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
59	Coal Briquette Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
60	Private Security Agency	Do	Do	Do	Do	Do	Do
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
62	Mineral Grinding Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
63	Employment of Sweeping and Cleaning	Do	Do	Do	Do	Do	Do
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	Do	Do	Do	Do	Do	Do
65	Employment in Motor garages and workshops	Do	Do	Do	Do	Do	Do
66	Employment of Motor Body Building.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs	Do	Do	Do	Do	Do	Do
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
69	Private Technical	Do	Do	Do	Do	Do	Do

	Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)						
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
71	Employment in Electricity Generator and supply	Do	Do	Do	Do	Do	Do
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
75	Computer Coaching Institute etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
76	Employment of Mobile Tower etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	Do	Do	Do	Do	Do	Do

(No-2/MW-2071/2010, L & T-.....1208.....Ranchi, Dated19/09/2022.)

By order of the Governor of Jharkhand,

Rc.
19/09/2022
Under Secretary,
Labour Commissioner Office,
Jharkhand.